रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 2007/श्रावण 11, 1929
No. 355] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2007/SRAVANA 11, 1929

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 526(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियमावली, 1980 की अनुसूची I में क्रम संख्या 4 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :–

क्रम. सं.	पासपोर्ट प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार
1	2	3
4(क)	क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	पंजाब राज्य में भटिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, पटियाला, मोगा, मुक्तसर, मंसा, संगरूर और रोपड़ जिले, हरियाणा राज्य में अंबाला, भिवानी, हिसार, जिंद, करनाल, सिरसा, कैथल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला और फतेहगढ़ जिले तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।
(ख)	जनसंपर्क अधिकारी, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	–वही–
(ग)	अधीक्षक, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़)	–वही–
(घ)	पासपोर्ट अधिकारी, (पासपोर्ट कार्यालय, शिमला)	हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी जिले।

1	2	3
(ङ)	जनसंपर्क अधिकारी (पासपोर्ट कार्यालय, शिमला)	हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी जिले ।
(च)	अधीक्षक (पासपोर्ट कार्यालय, शिमला)	—वही—

[फा. सं. वी. IV. 551/08/2007]

आर. स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.)

टिप्पणी:—मुख्य नियम दिनांक 11 दिसंबर, 1980 के सा.का.नि. 691(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् इनमें संशोधन किया गया:—

(i) सा.का.नि. 50 (अ), दिनांक 7-2-1981
(ii) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 10-6-1981
(iii) सा.का.नि. 469(अ), दिनांक 24-6-1982
(iv) सा.का.नि. 325 (अ), दिनांक 12-4-1983
(v) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 13-6-1983
(vi) सा.का.नि. 494(अ), दिनांक 16-6-1983
(vii) सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 29-3-1985
(viii) सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 8-11-1985
(ix) सा.का.नि. 857(अ), दिनांक 13-10-1987
(x) सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 11-2-1988
(xi) सा.का.नि. 1155(अ), दिनांक 21-11-1988
(xii) सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 27-7-1990
(xiii) सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 20-7-1990
(xiv) सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 4-3-1991
(xv) सा.का.नि. 275(अ), दिनांक 20-3-1991
(xvi) सा.का.नि. 586(अ), दिनांक 21-6-1991
(xvii) सा.का.नि. 111(अ), दिनांक 22-1-1992
(xviii) सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 15-6-1992
(xix) सा.का.नि. 721(अ), दिनांक 7-8-1992
(xx) सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 16-6-1993
(xxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 1-7-1993
(xxii) सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 10-7-1993
(xxiii) सा.का.नि. 833(अ), दिनांक 2-12-1994
(xxiv) सा.का.नि. 592(अ), दिनांक 7-8-1995
(xxv) सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 28-8-1997
(xxvi) सा.का.नि. 605 (अ), दिनांक 5-10-1998
(xxvii) सा.का.नि. 516(अ), दिनांक 8-7-1999
(xxviii) सा.का.नि. 827(अ), दिनांक 29-12-1999
(xxix) सा.का.नि. 34(अ), दिनांक 12-1-2000
(xxx) सा.का.नि. 473(अ), दिनांक 22-5-2000
(xxxi) सा.का.नि. 485(अ), दिनांक 23-5-2000
(xxxii) सा.का.नि. 529(अ), दिनांक 8-6-2000
(xxxiii) सा.का.नि. 584(अ), दिनांक 4-7-2000
(xxxiv) सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 25-7-2000
(xxxv) सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 26-6-2001
(xxxvi) सा.का.नि. 527(अ), दिनांक 9-7-2001
(xxxvii) सा.का.नि. 576(अ), दिनांक 27-7-2001
(xxxviii) सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 29-10-2001
(xxxix) सा.का.नि. 879(अ), दिनांक 4-12-2001
(xxxx) सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 29-5-2002; और
(xxxxi) सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27-10-2006

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2007

G.S.R. 526(E).—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2007.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In schedule I to the Passport Rules, 1980, for Serial No. 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Passport Authorities	Jurisdiction
1	2	3
4(a)	Regional Passport Officer (Regional Passport Office Chandigarh)	The districts of Bhatinda, Faridkot, Ludhiana, Fatehgarh Sahib, Ferozpur, Patiala, Moga, Mukatsar, Mansa, Sangrur and Ropar in

IndiaCode

1	2	3
		the State of Punjab, the districts of Ambala, Bhiwani, Hissar, Jind, Karnal, Sirsa, Kaithal, Rewari, Kurukshetra, Mohindergarh, Panipat, Yamunanagar, Panchkula and Fatehabad in the State of Haryana and Union Territory of Chandigarh.
(b)	Public Relation Officer (Regional Passport Office, Chandigarh)	-do-
(c)	Superintendent (Regional Passport Office, Chandigarh)	-do-
(d)	Passport Officer (Passport Office, Shimla)	All districts of the State of Himachal Pradesh.
(e)	Public Relation Officer (Passport Office, Shimla)	-do-
(f)	Superintendent (Passport Office, Shimla)	-do-

[F. No. V. IV. 551/08/2007]

R. SWAMINATHAN, Jt. Secy. (CPV)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended vide:—

(i) GSR 50(E), dated 7-2-1981
(ii) GSR 494(E),dated 10-6-1981 .
(iii) GSR 469(E), dated 24-6-1982
(iv) GSR 325 (E), dated 12-4-1983
(v) GSR 482(E), dated 13-6-1983
(vi) GSR 494(E), dated 16-6-1983
(vii) GSR 345(E), dated 29-3-1985,
(viii) GSR 860(E), dated 8-11-1985
(ix) GSR 857(E), dated 13-10-1987
(x) GSR 84(E), dated 11-2-1988
(xi) GSR 1155(E), dated 21-1 1-1988
(xii) GSR 622(E), dated 27-7-1990
(xiii) GSR 653(E), dated 20-7-1990
(xiv) GSR 100(E), dated 4-3-1991
(xv) GSR 275(E), dated 20-3-1991
(xvi) GSR 586(E), dated 21-6-1991
(xvii) GSR 111(E), dated 22-1-1992
(xviii) GSR 684(E), dated 15-6-1992
(xix) GSR 721(E), dated 7-8-1992
(xx) GSR 477(E), dated 16-6-1993
(xxi) GSR 485(E), dated 1-7-1993
(xxii) GSR 503(E), dated 10-7-1993
(xxiii) GSR 833(E), dated 2-12-1994
(xxiv) GSR 592(E), dated 7-8-1995
(xxv) GSR 491(E), dated 28-8-1997
(xxvi) GSR 605 (E), dated 5-10-1998
(xxvii) GSR 516(E), dated 8-7-1999
(xxviii) GSR 827(E), dated 29-12-1999
(xxix) GSR 34(E), dated 12-1-2000
(xxx) GSR 473(E), dated 22-5-2000
(xxxi) GSR 485(E), dated 23-5-2000
(xxxii) GSR 529(E), dated 8-6-2000
(xxxiii) GSR 584(E), dated 4-7-2000
(xxxiv) GSR 632(E), dated 25-7-2000
(xxxv) GSR 482(E), dated 26-6-2001
(xxxvi) GSR 527(E), dated 9-7-2001
(xxxvii) GSR 576(E), dated 27-7-2001
(xxxviii) GSR 817(E), dated 29-10-2001
(xxxix) GSR 879(E), dated 4-12-2001
(xxxx) GSR417(E), dated 29-5-2002; and
(xxxxi) GSR 674(E), dated 27-10-2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.